न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. बभूतसिंह पुत्र सुजानसिंह 2. भगवान सिंह पुत्र मोडसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम ढेलाणा, तह0 लोहावट, जिला जोधपुर)		1. सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत ढेलाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढेलाणा तह0 लोहावट, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांक 146 दिनांक 9.11.21

उपस्थिति –
1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से
3. श्री अशोक चौधरी, रेस्पो0 सं0 2

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा अंतर्गत धारा 131 व 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश कमांक 146 दिनांक 5.11.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.21 द्वारा तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम ढेलाणा के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की खातेदारी खसरा नम्बर 143, 143/2, 146, 500/146 501/146 व 147 की भूमि में से उल्लेखित रकबा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जबकि मौके पर उक्त भूमि में कोई रास्ता मौजूद नही है तथा इसका विधिवत बंटवाडा नही हुआ है। तहसीलदार लोहावट के आवेदन में मृतक खातेदार छतरसिंह व मगसिंह के फर्जी सहमति पत्र पेश किए गये थे, जबकि अपीलांट्स व उसके परिवार के सदस्यों की कोई सहमति नही थी। ख0नं0 142 में अपीलांट्स की गै0मु0 ढाणी है तथा ख0नं0 143, 146 व 147 में रास्ते के लिए कभी आवेदन नही किया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा इसकी आड़ में प्रत्यर्थी सं0 2 इस गै0मु0 रास्ते पर सडक बनाने को आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलांट्स के खातेदारी खसरान की भूमि में घोषित गै0मु0रास्ते को निरस्त फरमाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में यथा नक्शें में अंकन को अपास्त कराने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपील में वर्णित वादग्रस्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर उक्त रास्ते पर ग्रेवल सड़क के निर्माण का नियमानुसार बजट स्वीकृत होने पर, कार्य प्रारम्भ किया गया। लगभग आधे रास्ते पर ग्रेवलीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संपूर्ण रास्ते में मिट्टी डलवाने का कार्य नरेगा के मार्फत पूर्ण हो चुका है। शेष रास्ते पर निर्माण सामग्री–मुड़, पत्थर व कांकरी आदि जगह–जगह डलवायी हुई है, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों के साथ दुरस्त ढाणियों में टेंकरों के जरिये जीएलआर तक पेयजल पहुंचाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लोहावट की अनुशंषा पर मौके पर चालू कदीमी रास्ते की भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु पारित किया गया। जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया है तथा इस आधार पर ग्रा0पं0 द्वारा जनहित में सड़क निर्माण का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 को पारित किया गया था, जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य संतोषजनक प्रतीत नही है। जिससे यह अपील मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार लोहावट से प्राप्त प्रस्ताव पर की गई है। अपील में स्वयं अपीलांट्स द्वारा यह स्वीकारोक्त तथ्य है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.21 की पालना में राजस्व रेकर्ड व नक्शें में अंकन कर दिया गया है तथा मौके पर ग्राम पंचायत ढेलाणा द्वारा जनहित में स्वीकृत सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा 2 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत उक्त अपील गुणावगुण पर सारहीन पायी जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 146 दिनांक 09.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर